कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक फा.15(1)(8)सविरा/नियम/भण्डार उपनियम/87 पार्ट–3 दिनांक 25/6/2014

उप/सहायक
सहकारी समितियॉ,
.....(समस्त)

विषय : प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों के उपनियमों में संशोधन।

उपरोक्त विषयान्तर्गत 97वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 राजस्थान विधान सभा द्वारा पारित किया जाकर दिनांक 24 अप्रेल,2013 को अधिसूचित किया जा चुका है। अधिनियम में किये गये संशोधनों के आलोक में राज्य के प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों के आदर्श उपनियमों में यथास्थान संशोधन अंतरित किये जाकर आदर्श उपनियम की एक प्रति संलग्न कर लेख है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 11 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए सभी संबंधित प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों के उपनियमों को उक्तानुसार संशोधित कर इस कार्यालय को अवगत करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनुराग भारद्वाज)
रजिस्ट्रार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त पंजीयक (उपभोक्ता), प्रधान कार्यालय, जयपुर।
5. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि0, जयपुर।
6. अतिरिक्त/संयुक्त पंजीयक, सहकारी समितियां,..... खण्ड।
7. प्रचार अधिकारी, प्रधान कार्यालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. गार्ड पत्रावली।

(34)

उप रजिस्ट्रार (नियम)

प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडारों के उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन

उपनियम संख्या	वर्तमान प्रावधान	संशोधित प्रावधान
10(2)	साधारण सभा की बैठक वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से होगी। सहकारी वर्ष की समाप्ति के तीन माह की अवधि में संस्था की साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना अवश्यक होगा।	**प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छः मास की कालावधि के भीतर भीतर** अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत साधारण सभा की बैठक बुलाया जाना आवश्यक होगा।
13	**संचालक मण्डल :** 1. भण्डारों के संचालक मण्डल में 11 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनका निर्वाचन साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। 12. कार्यरत समिति अपने कार्यकाल की समयावधि समाप्त होने से पूर्व राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के माध्यम से निर्वाचन सम्पादित करायेगी। 14. संचालक मण्डल में रिक्त स्थान होने की स्थिति में, शेष संचालक ऐसी सभा में, जिसमें समिति का निर्धारित कोरम होगा, अपने समस्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे अथवा रिक्त स्थान की पूर्ति, योग्य सदस्यों में से शेष अवधि के लिये सहवरण द्वारा कर सकेंगे, यदि शेष अवधि छः माह से अधिक की हो। .	**संचालक मण्डल का गठन :** 1. भण्डारों के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे। **संस्था में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्य होने की स्थिति में उक्त 12 में से क्रमशः एक–एक पद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों हेतु एवं दो पद महिलाओं हेतु** आरक्षित होंगे। 12. संचालक मण्डल **का चुनाव राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 34 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण** द्वारा कराया जावेगा। 14. **संचालक मण्डल के प्रत्येक चुने गये सदस्य के आकस्मिक रूप से रिक्त हुए स्थानों की पूर्ति अधिनियम की धारा 27(4) के प्रावधानानुसार की जावेगी। जिसके अनुसार समिति रिक्त पदों को नामनिर्देशन द्वारा भर सकेगी, यदि समिति की अवधि इसकी मूल पदावधी के आधे से कम है। किन्तु यदि मूल पदावधी आधे से अधिक है तो ऐसी रिक्ति निर्वाचन, नाम निर्देशन या यथास्थिति सहयोजन द्वारा भरी जावेगी और ये सदस्य शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।**
13(9)(झ)	**ऑडिट रिपोर्ट व पालना रिपोर्ट पर विचार करना तथा सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।**	**(i)** सोसाइटी **की लेखाओं की लेखा परीक्षा हेतु अधिनियम की धारा 54(4) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित पैनल मे से लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षा फर्म की नियुक्ति करना।** **(ii) सोसाइटी** की लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुपालना **रिपोर्ट के साथ रजिस्ट्रार और उसकी सम्बद्ध** सोसाइटी को भेजने से पूर्व उस पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

16(6)	मंत्री (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) कोई प्रावधान नहीं	मुख्य कार्यपालक अधिकारी संचालक मण्डल के पदाधिकारियों के निर्वाचनों के संचालन हेतु विद्यमान संचालक मण्डल की अवधि की समाप्ति के छःमाह पूर्व लिखित सूचना राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को भेजेगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, संघ के संचालक मण्डल में किसी आकस्मिक रिक्ति के बारे में, ऐसी रिक्ति होने के तुरन्त पश्चात् लिखित सूचना भी भेजेगा।
16(7)	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट के आक्षेपों की अनुपालना रिपोर्ट तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना तथा अनुपालना रिपोर्ट की प्रति रजिस्ट्रार और उसकी संबद्ध सोसाइटियों को भेजना।
25	कोई प्रावधान नहीं।	नया जोड़ा गया। संस्था, प्रत्येक वितीय वर्ष की समाप्ति के छःमाह के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को निम्नलिखित विवरणियां फाइल करेगी, अर्थातः- (क) अपनी कियाकलापों की वार्षिक रिपोर्ट (ख) अपने लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण (ग) अधिशेष के व्ययन के लिये योजना, जो संघ के साधारण निकाय द्वारा अनुमोदित हो (घ) संघ की उपविधियों के संशोधनों, यदि कोई हो, की सूची (ङ) अपने साधारण निकाय की बैठक आयोजित करने की तारीख और निर्वाचनों का, जब नियत हों, संचालन करने के बारे मे घोषणा और (च) ऐसी अन्य सूचना, जिसकी रजिस्ट्रार समय-समय पर अपेक्षा करे।